[2022] 9 एस. सी. आर 581

भारत और ओआरएस का संघ।

वी.

प्रमुख आर. मेट्री नं. 08585 एन.

(आपराधिक अपील सं। 2017 का 2196)

अप्रैल 04,2022

[एल. नागेश्वर राव और बी. आर. गवई, जे. जे.]

सेवा कानूनः सशस्त्र बल सेवा-सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (ए. एफ. टी.) द्वारा हस्तक्षेप-प्रतिवादी-अधिकारी को तैनात किया गया था।

जैसा कि भर्ती चिकित्सा अधिकारी-उनके खिलाफ मामला यह था कि उन्होंने कुछ उम्मीदवारों को चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ घोषित करके सेना की भर्ती रैलियों को पास करने में मदद की-जनरल कोर्ट मार्शल (जीसीएम) ने पाया उसे दोषी यू / पी. सी. अधिनियम, 1988 की धारा 7 आर/डब्ल्यू. एस. 69 सेना अधिनियम, 1950 और उसे सेवा से कैशियर होने और एक साल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई-अपील में, ए. एफ. टी. ने आदेश को दरकिनार कर दिया

जी. सी. एम. और उसे यू/दोषी ठहराया सेना अधिनियम की धारा 63 और उसे मेजर के पद की वरिष्ठता को जब्त करने और गंभीर फटकार की सजा सुनाई-ए. एफ. टी. ने यह भी निर्देश दिया कि प्रत्यर्थी-अधिकारी को सेवा से बाहर रहने की अवधि के लिए बिना किसी वेतन और भत्ते के सेवा में बहाल किया जाए-इस आधार पर तत्काल अपील दायर की गई कि ए. एफ. टी. द्वारा साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन अनुमत नहीं थाः ए. एफ. टी. को यह पता लगाने के लिए सबूतों का पुनर्मूल्यांकन करने का अधिकार था कि क्या कोई सबूत है।

कोर्ट मार्शल के निष्कर्ष कानूनी रूप से किसी भी कारण से टिकाऊ नहीं हैं, या यह कि निष्कर्ष में कानून के प्रश्न पर गलत निर्णय शामिल है, या मुकदमे के दौरान भौतिक अनियमितता थी जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई-यदि ए. एफ. टी. द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक प्रशंसनीय पाया जाता है, तो न्यायालय के लिए इसमें हस्तक्षेप करने की अनुमति केवल इसलिए नहीं होगी क्योंकि अदालत दूसरे दृष्टिकोण को अधिक संभावित/प्रशंसनीय पाती है-समान रूप से जब तक कि ए. एफ. टी. का निष्कर्ष विकृत या असंभव नहीं पाया जाता है, तब तक हस्तक्षेप उचित नहीं होगा-सेना अधिनियम, 1950-एस. 63 , 69- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988। 7 - न्यायिक समीक्षा।

प्रमाणः अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति-अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि प्रतिवादी-अधिकारी ने अपनी संलिप्तता के बारे में स्वीकार किया-आयोजितः अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति साक्ष्य का एक कमजोर टुकड़ा है-जब तक कि इस तरह के स्वीकारोक्ति को स्वैच्छिक, भरोसेमंद और विश्वसनीय नहीं पाया जाता है, तब तक केवल उसी के आधार पर, बिना पुष्टि के, दोषसिद्धि उचित नहीं होगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.ए. एफ. टी. द्वारा साक्ष्य की पुनः प्रशंसा यह पता लगाने के लिए अनुमत है कि क्या कोर्ट मार्शल के कोई निष्कर्ष कानूनी रूप से नहीं हैं।

किसी भी कारण से टिकाऊ। यदि ए. एफ. टी. द्वारा लिया गया दृष्टिकोण प्रशंसनीय पाया जाता है, तो न्यायालय के लिए इसमें हस्तक्षेप करने की अनुमति केवल इसलिए नहीं होगी क्योंकि न्यायालय दूसरे दृष्टिकोण को अधिक संभावित/प्रशंसनीय पाता है। समान रूप से, जब तक ए. एफ. टी. का निष्कर्ष विकृत या असंभव नहीं पाया जाता है,

हस्तक्षेप उचित नहीं होगा। [पारस 29 और 33] [593-जी; 594 जी-एच]

द स्टेट ऑफ बॉम्बे v. इसके बाद काठी कालू ओघड़ और अन्य (1962) 3 एस. सी. आर. 10 आए। भारत संघ और अन्य बनाम। संदीप कुमार और अन्य (2019) 10 एस. सी. सी. 496: [2019] 12 एस. सी. आर. 415-निर्भर।

2. पीडब्लू. 1 और पीडब्लू. 3 के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वे दिसंबर 2008 से ही भर्ती घोटाले में दलालों के गिरोह के बारे में जानते थे। इतना ही नहीं, पी. डब्ल्यू. 1 ने रिकॉर्ड में कहा है कि भर्ती प्रक्रिया में, भर्ती किए गए 90 प्रतिशत व्यक्ति दलालों को अलग-अलग राशि का भुगतान करते हैं, हालांकि

चयन प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष थी। पी. डब्ल्यू. 1 ने स्वीकार किया है कि

प्रतिवादी-अधिकारी ने उन्हें दिसंबर, 2008 में फोन कॉल के बारे में सूचित किया था। जहां तक पीडब्लू. 3 का संबंध है, उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि प्रतिवादी-अधिकारी ने उन्हें मई, 2009 के महीने में फोन कॉल के बारे में सूचित किया था। ए. एफ. टी. का निष्कर्ष कि परिस्थितियों को देखते हुए, यह अप्राकृतिक प्रतीत होता है

कि प्रत्यर्थी-अधिकारी 14 जुलाई, 2009 को स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति करेगा और 15 जुलाई, 2009 को लिखित बयान देगा और यह कि भर्ती घोटाले में कई और व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और बलि का बकरा खोजने के लिए, प्रत्यर्थी-अधिकारी को इकबालिया बयान देने के लिए कहे जाने की संभावना है। इस आश्वासन के साथ कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, एक असंभव दृष्टिकोण नहीं कहा जा सकता है। [पैरा 41] [597-ए-डी]

3. पी. डब्ल्यू. 2 ने अपनी परीक्षा में यह भी स्वीकार किया है कि जब उन्होंने उप महानिदेशक भर्ती का पद संभाला था

जोन, पहली भर्ती रैली जोधपुर में आयोजित की गई थी, 11 मई, 2009 और 18/19 मई, 2009 के बीच।

वह भारत और ओआरएस का संघ है। वी. प्रमुख आर. मेट्री नं. 08585 एन.

उन्होंने स्वीकार किया है कि इस भर्ती रैली के दौरान, उन्हें प्रतिवादी-अधिकारी सहित चिकित्सा अधिकारियों से शिकायतों की प्राप्ति के बारे में पता चला कि उन्हें धमकी भरी सामग्री के साथ अवांछित कॉल और एस. एम. एस. संदेश प्राप्त हुए थे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है अपने साक्ष्य में कि 14 जुलाई, 2009 को उन्हें स्थानीय समाचार पत्र मिले, जो भर्ती रैकेट की खबरों से भरे हुए थे। वह.

यह भी स्वीकार किया है कि 14 जुलाई, 2009 को एक बैठक आयोजित की गई थी

पीडब्लू. 1 और पीडब्लू. 2 और पीडब्लू. 3 के साक्ष्य के संबंध में यह विचार कि प्रतिवादी-अधिकारी द्वारा दिया गया इकबालिया बयान स्वैच्छिक नहीं प्रतीत होता है, एक विकृत दृष्टिकोण नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति सबूत का एक कमजोर टुकड़ा है। जब तक कि ऐसा स्वीकारोक्ति नहीं पाया जाता है स्वैच्छिक, भरोसेमंद और विश्वसनीय, केवल उसी के आधार पर, पुष्टि के बिना, दोषसिद्धि उचित नहीं होगी। इसके अलावा प्रतिवादी-अधिकारी जैसा एकल अधिकारी किसी उम्मीदवार को चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ घोषित नहीं कर सकता है, अगर वह अन्यथा नहीं है। उनके साक्ष्य से पता चलता है कि जिस दल को प्रतिवादी पसंद करता है

अधिकारी एक सदस्य था, केवल स्वतंत्र सदस्यों को परीक्षण, माप और चिकित्सा परीक्षा के संचालन में सहायता करता है। [पारस 42,43,45,47] [597-डी-एच; 598-जी; 599-सी]

4. तीनों गवाहों ने स्वीकार किया है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि क्या कोई उम्मीदवार, जिसे प्रतिवादी अधिकारी द्वारा फिट घोषित किया गया था, बाद में चिकित्सकीय रूप से अयोग्य पाया गया था। तीनों ही गवाहों ने यह भी स्वीकार किया है कि यह स्थापित करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि प्रतिवादी-अधिकारी और उसके ससुर के खाते में जमा की गई राशि अवैध संतुष्टि के रूप में प्राप्त राशि थी। इसलिए, प्रतिवादी अधिकारी धारा के तहत दंडनीय अपराध से बरी होने का हकदार है।

7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम [पैरा 48,49] [599-डी-ई]

5. प्रत्यर्थी-अधिकारी ने यह साबित करने के लिए बोझ उठाया है कि उसके खाते में Rs.20,000/- की राशि कैसे जमा की गई और Rs.65,000/- की राशि उसके ससुर के खाते में कैसे जमा की गई। इस प्रकार, आदेश का वह भाग, जो प्रतिवादी-अधिकारी को दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराता है [2022] 9 एस. सी. आर.

सेना अधिनियम की धारा 63 के तहत, अदालत को देखते हुए, टिकाऊ नहीं था। [पैरा 53] [600-सी]

चंद्र कुमार चोपड़ा बनाम। भारत संघ और अन्य

(2012) 6 एससीसी 369 [2012] 5 एससीआर 1029; सहदेवन और एक अन्य वी। तमिलनाडु राज्य (2012) 6 एस. सी. सी. 403

: [2012] 4 एस. सी. आर. 366-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2019] 12 एससीआर 415

पैरा 19

संदर्भित किया गया है

(1962) 3 एससीआर 10

पीछा किया।

पैरा 20

[2012] 5 एससीआर 1029

संदर्भित किया गया है

पैरा 21

[2012] 4 एससीआर 366

संदर्भित किया गया है

पैरा 44

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं।

2196 2017 से।

सशस्त्र के 02.03.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

ओ. ए. में बल न्यायाधिकरण, क्षेत्रीय पीठ, कोच्चि। (अपील) 2014 का सं. 02/2014 के ओ. ए. सं. 02 में 2017 के एम. ए. No.271 में दिनांकित आदेश।

के साथ

आपराधिक अपील सं। 537-538 2018 से।

विक्रमजीत बनर्जी, ए. एस. जी., आर. बालासुब्रमण्यम, वरिष्ठ अधिवक्ता। , नचिकेता

जोशी, अरविंद कुमार शर्मा, सुश्री सुहासिनी सेन, बी. के. सतीजा, मनीष, शरणश कुमार, सिद्धार्थ सिन्हा, निंग चामविबो जेलियांग, प्रशांत रावत, तथागट शर्मा, मुकेश कुमार मारोरिया, गौरव अग्रवाल, निशे राजन शोंकर, सुश्री अनु के. जॉय, आलिम अनवर, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी. आर. गवई, जे.

1. ये दोनों परस्पर विरोधी अपील निर्णयों और आदेशों को चुनौती देती हैं।

(इसके बाद दिनांक 2 मार्च, 2017 को "विद्वान ए. एफ. टी". के रूप में संदर्भित किया गया है। ओ. ए. में उत्तीर्ण। (अपील) 2014 की सं. 2 और 30 मई, 2017 को 2017 के एम. ए. No.271 में पारित किया गया।

भारत और ओआरएस का संघ। वी. प्रमुख आर. मेट्री नं. 08585 एन [बी. आर. जी. ए. वी. ए. आई, जे.]

2. 2017 की आपराधिक अपील No.2196 भारत संघ और अन्य लोगों द्वारा दायर की गई है, जिसमें 2 तारीख के फैसले और आदेश के उस हिस्से को चुनौती दी गई है।

विद्वान ए. एफ. टी. के मार्च, 2017 के आदेश के अनुसार, जिसे विद्वान ए. एफ. टी. ने सेना अधिनियम, 1950 की धारा 69 के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (इसके बाद "पी. सी. अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 7 के तहत दोषसिद्धि के आदेश को दरकिनार करते हुए (इसके बाद "सेना अधिनियम" के रूप में संदर्भित) और जनरल कोर्ट मार्शल (इसके बाद "जी. सी. एम". के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित 28 अप्रैल, 2013 को सेवा से कैशियर करने और एक वर्ष के लिए कठोर कारावास की सजा को प्रतिवादी-मेजर आर. मेट्री (संबंधित अपीलों में अपीलकर्ता 2018 की आपराधिक अपील Nos.537-538 है) को दोषी ठहराया है।

और कड़ी भर्त्सना। विद्वान ए. एफ. टी. ने यह भी निर्देश दिया है कि प्रत्यर्थी-अधिकारी को सेवा में बहाल किया जाए, जिसमें सेवा से बाहर रहने की अवधि के लिए कोई वेतन और भत्ता नहीं हो, लेकिन बिना किसी सेवा विराम के। 3. आपराधिक अपील सं। 537-538 विद्वान ए. एफ. टी. के उक्त निर्णय और आदेश के उस हिस्से से व्यथित प्रतिवादी-अधिकारी द्वारा 2018 का मामला दायर किया गया है, जिसमें उसे सेना अधिनियम की धारा 63 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और उसे पद की वरिष्ठता को जब्त करने और गंभीर फटकार की सजा सुनाई गई है।

4. वर्तमान अपीलों के निर्णय के लिए आवश्यक तथ्य हैंः

निम्नानुसारः 5. सुविधा के लिए, पक्षों को इसके तहत संदर्भित किया गया है जैसा कि 2017 की आपराधिक अपील संख्या 2196 में पाया गया है।

6. वर्ष 2008 में, प्रत्यर्थी-अधिकारी को भर्ती चिकित्सा अधिकारी, सेना भर्ती कार्यालय, झुंझुनू के रूप में तैनात किया गया था।

राजस्थान। प्रासंगिक समय पर, पी. डब्ल्यू. 1-कर्नल। अनिल सिंह राठौर सेना भर्ती कार्यालय, झुंझुनू, राजस्थान के निदेशक थे।

7. 16 दिसंबर, 2008 और 18 दिसंबर, 2008 के बीच उदयपुर में सेना भर्ती रैली आयोजित की गई। इसके अनुसार

अभियोजन पक्ष, पी. डब्ल्यू. 8-मेजर बी. एस. आर. के. प्रसाद के साथ-साथ P.W.12-मेजर डी. श्रीनिवास, जो भर्ती चिकित्सा अधिकारियों के रूप में भी काम कर रहे थे, ने प्रतिवादी-अधिकारी से संपर्क किया और उनसे कहा कि वे उम्मीदवारों को चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ बनाकर उनकी मदद करते हैं और कुछ निश्चित मामलों को निपटाने के लिए उनकी मदद मांगी।

उम्मीदवारों को चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ घोषित करके। यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि, हालांकि, शुरू में, प्रतिवादी-अधिकारी [2022] 9 एस. सी. आर. के आग्रह पर अनिच्छुक था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मेजर डी. श्रीनिवास ने प्रत्यर्थी-अधिकारी से कुछ लोगों की मदद करने का अनुरोध किया उम्मीदवार और प्रत्यर्थी-अधिकारी, हालांकि अनिच्छुक थे, ने स्वीकार्य सीमा के भीतर कुछ उम्मीदवारों को उत्तीर्ण करने में मदद की। यह अभियोजन का मामला है

कि प्रत्यर्थी-अधिकारी की पत्नी ने 16 फरवरी, 2009 को एक बच्ची को जन्म दिया, और इस तरह, प्रत्यर्थी-अधिकारी तुरंत अपने पैतृक स्थान पर जाना चाहता था। चूंकि उनके पास हवाई टिकट खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं था, इसलिए उन्होंने मेजर डी. श्रीनिवास से रुपये की राशि उधार देने का अनुरोध किया। 20,000 / - . उक्त राशि Rs.20,000/- प्रत्यर्थी-अधिकारी के खाते में P.W.10-वरलक्ष्मी श्रीनिवास, यानी P.W.12-मेजर डी. श्रीनिवास की पत्नी द्वारा जमा की गई थी। अभियोजन पक्ष का मामला है कि मेजर डी. श्रीनिवास ने प्रतिवादी-अधिकारी को बताया कि Rs.20,000/- की उक्त राशि दौसा भर्ती रैली में उम्मीदवारों की मदद करने के लिए उनके हिस्से के लिए थी।

10. अभियोजन पक्ष का मामला यह भी है कि जोधपुर और गंगानगर में क्रमशः मई, 2009 और जून, 2009 में भर्ती रैलियां भी हुईं। यह आरोप है कि उक्त रैलियों में भी, कुछ उम्मीदवारों को चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित करने के कुछ कदाचार हुए, जो अन्यथा फिट नहीं थे।

11. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि जुलाई, 2009 के महीने में अजमेर में एक और भर्ती रैली हुई थी। उत्तरदाता

पी. डब्ल्यू. 1-कर्नल के साथ अधिकारी। अनिल सिंह राठौर उक्त भर्ती रैली में भाग लेने के लिए अजमेर गए थे। जब अजमेर में भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, तो 11 जुलाई, 2009 को नरेंद्र सिंह, यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस के कहने पर पुलिस स्टेशन आदर्श नगर, अजमेर में 2009 की एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (जिसे इसके बाद "एफ. आई. आर". के रूप में संदर्भित किया गया है) दर्ज की गई।

वी. प्रमुख आर. मेट्री नं. 08585 एन [बी. आर. जी. ए. वी. ए. आई., जे.]

भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद "आई. पी. सी". के रूप में संदर्भित) की धारा 406 और 420 के तहत, सेना भर्ती रैली में कदाचार के बारे में शिकायत। पी. डब्ल्यू. 6-मो. सर्कल इंस्पेक्टर अनवर खान ने जांच शुरू की और 10 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन पर आरोप लगाया गया था टॉट्स।

12. यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि 13 जुलाई, 2009 को मीडिया एट अजमेर में कुछ रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। मीडिया रिपोर्टों में, नाम

तीन अधिकारी, अर्थात् (1) प्रत्यर्थी-अधिकारी; (2) पी. डब्ल्यू. 8-मेजर बी. एस. आर. के. प्रसाद; और (3) पी. डब्ल्यू. 12-मेजर डी. श्रीनिवास और तीन कनिष्ठ कमीशन अधिकारी, अर्थात् (1) सूबेदार मेजर वी. पी. सिंह; (2) सूबेदार सुरजन सिंह और (3) सूबेदार मेजर जसवंत सिंह का उल्लेख किया गया।

13. अभियोजन पक्ष का मामला है कि 14 जुलाई, 2009 की शाम को प्रतिवादी-अधिकारी पी. डब्ल्यू. 1-कर्नल के पास गया। अनिल सिंह राठौर।

वे पास के एक मंदिर में गए थे और मंदिर की सीढ़ियों पर, प्रतिवादी-अधिकारी ने अपनी संलिप्तता के बारे में स्वीकार किया। पी. डब्ल्यू. 1-कर्नल। अनिल सिंह राठौर ने प्रत्यर्थी-अधिकारी से लिखित रूप में अपना इकबालिया बयान देने को कहा। यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि प्रतिवादी अधिकारी शुरू में 15 जुलाई, 2009 को एक मसौदा स्वीकारोक्ति के साथ आए, जिस पर पी. डब्ल्यू. 1-कर्नल। अनिल सिंह राठौर ने उनसे कहा कि उन्हें मसौदा देखने की कोई आवश्यकता नहीं है और उन्हें अंतिम बयान देना चाहिए। तदनुसार,

उसी दिन, लगभग 8 बजे, प्रतिवादी-अधिकारी ने पी. डब्ल्यू. 1-कर्नल अनिल सिंह राठौर को पी. डब्ल्यू. की उपस्थिति में एक लिखित बयान दिया।

"जी. ओ. सी". के रूप में संदर्भित), दक्षिण पश्चिम कमान ने 14 दिसंबर, 2009 के नोट के माध्यम से प्रतिवादी-अधिकारी और दो अन्य अधिकारियों, अर्थात् P.W.12-मेजर डी. श्रीनिवास और पी. डब्ल्यू. 8-मेजर बी. एस. आर. के. प्रसाद और तीन जूनियर कमीशन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। 15. प्रत्यर्थी-अधिकारी और अन्य लोगों ने विद्वानों के समक्ष मूल आवेदनों के माध्यम से कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी की कार्यवाही को चुनौती दी।

एएफटी, जयपुर। इन्हें विद्वान ए. एफ. टी., जयपुर द्वारा 9 अप्रैल, 2010 के आदेश के माध्यम से अस्वीकार कर दिया गया था।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

जी. सी. एम. अधिकारी और पाँच अन्य के खिलाफ 28 जून, 2012 को कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया गया था।

शुल्क संख्या 1:

धारवाड़ में जनवरी 2009 के दौरान, जो 14 दिसंबर 2009 को कार्रवाई शुरू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का ज्ञान, एक लोक सेवक होने के नाते, चिकित्सा अधिकारी झुनझुनू की भर्ती के कर्तव्यों का पालन करते हुए, प्राप्त किया गया

उदयपुर रैली में सेना में भर्ती के लिए उम्मीदवारों की मदद करने के लिए उनके हिस्से का इनाम।
शुल्क संख्या 2:

धारवाड़ में फरवरी 2009 के दौरान, जो 14 दिसंबर 2009 को कार्रवाई शुरू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के ज्ञान में आया, भर्ती चिकित्सा अधिकारी सेना भर्ती कार्यालय झुनझुनू के कर्तव्यों का पालन करते हुए, एक लोक सेवक होने के नाते, श्रीमती वारा लक्ष्मी की पत्नी से Rs.20,000/- प्राप्त किया। एम. आर.-08205 के. मेजर डी. श्रीनिवास दौसा रैली में सेना में भर्ती के लिए उम्मीदवारों की मदद करने के लिए अपने हिस्से के इनाम के रूप में।

शुल्क संख्या 3: सेना अधिनियम की धारा 69 एक नागरिक अपराध करना, अर्थात एक लोक सेवक होने के नाते, अपने लिए भारत और ओ. आर. एस. का संतुष्टि संघ प्राप्त करना।

झुनझुनू, एक लोक सेवक होने के नाते सिम प्राप्त किया No.9784341343 श्री तारू लाई से, सेना में भर्ती के लिए अपने उम्मीदवारों की मदद करने के उद्देश्य के रूप में।

17. मुकदमे के समापन पर, जी. सी. एम. ने प्रतिवादी को पाया

आरोप का दोषी अधिकारी सं। 1 और 2 और आरोप संख्या 3 का दोषी नहीं है। इसलिए जी. सी. एम. ने 28 अप्रैल, 2013 के आदेश के माध्यम से प्रतिवादी-अधिकारी को सेवा से कैशियर करने और एक साल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई। जी. ओ. सी. ने जी. सी. एम. के निष्कर्षों और सजा की पुष्टि की, लेकिन 29 दिसंबर, 2013 के आदेश के अनुसार कठोर कारावास की सजा के अप्राप्त हिस्से को माफ कर दिया। इससे व्यथित होकर, प्रत्यर्थी-अधिकारी ने ओ. ए. के माध्यम से विद्वान ए. एफ. टी. के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी। (अपील) 2014 की सं. 2। जैसा कि ऊपर कहा गया है, 2 मार्च, 2017 के विवादित फैसले और आदेश द्वारा इसकी आंशिक रूप से अनुमति दी गई है। इससे व्यथित होने के कारण, वर्तमान अपीलें। 18. हमने भारत सरकार और अन्य की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (संक्षेप में "एएसजी") श्री विक्रमजीत बनर्जी और उपस्थित हुए विद्वान वकील श्री गौरव अग्रवाल को सुना है।

प्रत्यर्थी की ओर से-अधिकारी। 19. श्री विक्रमजीत बनर्जी, विद्वान ए. एस. जी, प्रस्तुत करते हैं कि सशस्त्र बलों की धारा 15 के तहत विद्वान ए. एफ. टी. द्वारा हस्तक्षेप की गुंजाइश

न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 (इसके बाद "ए. एफ. टी. अधिनियम" के रूप में संदर्भित) बहुत सीमित है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि विद्वान ए. एफ. टी. द्वारा साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन स्वीकार्य नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान ए. एफ. टी. द्वारा हस्तक्षेप केवल तीन आधारों पर किया जाएगा, जैसा कि ए. एफ. टी. अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (4) के तहत उल्लेख किया गया है। इस संबंध में, भारत संघ और अन्य बनाम संदीप कुमार और अन्य के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया जाता है।

1 1 (2019) 10 एससीसी 496 [2022] 9 एस. सी. आर.

20. श्री बनर्जी ने आगे कहा कि विद्वान ए. एफ. टी. ने यह मानते हुए घोर गलती की है कि प्रतिवादी-अधिकारी द्वारा दिया गया इकबालिया बयान स्वैच्छिक नहीं था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब

प्रत्यर्थी-अधिकारी ने इकबालिया बयान दिया, वह आरोपी नहीं था, और इस तरह, विद्वान ए. एफ. टी. ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 (3) पर भरोसा करने में घोर गलती की है। इस संबंध में, वह द स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम काठी कालू ओघड़ और अन्य 2 के मामले में इस न्यायालय की ग्यारह न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर निर्भर है।

21. श्री बनर्जी आगे प्रस्तुत करते हैं कि विद्वान ए. एफ. टी. स्वयं इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रतिवादी-अधिकारी वित्तीय कदाचार में लिप्त है, और इसलिए, इस तरह के कदाचार के लिए सेवा से कैशियर करने की सजा को बनाए नहीं रखा जाना चाहिए था। इस संबंध में भरोसा चंद्रा के मामले में इस अदालत के फैसले पर रखा गया है।

कुमार चोपड़ा बनाम भारत संघ और अन्य 3.

22. प्रत्यर्थी-अधिकारी की ओर से पेश विद्वान वकील श्री गौरव अग्रवाल, इसके विपरीत प्रस्तुत करते हैं कि विद्वान ए. एफ. टी.

उचित रूप से अभिनिर्धारित किया है कि इकबालिया बयान स्वैच्छिक नहीं था। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति सबूत का एक बहुत ही कमजोर टुकड़ा है और इसके आधार पर दोषसिद्धि को तब तक कायम नहीं रखा जा सकता है, जब तक कि कुछ पुष्टि न हो। उन्होंने प्रस्तुत किया कि 11 जुलाई, 2009 को दर्ज प्राथमिकी में प्रतिवादी-अधिकारी के पहले से ही शामिल होने की खबर 13 जुलाई, 2009 को समाचार पत्रों में पहले ही प्रकाशित हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने पहले ही प्राथमिकी के संबंध में पूछताछ शुरू कर दी थी और पुलिस अधिकारियों और सेना के अधिकारियों के बीच चर्चा हुई थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि विद्वान ए. एफ. टी. इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि यह एक बड़ा भर्ती घोटाला था और उच्च अधिकारियों को बचाने के लिए, प्रतिवादी-अधिकारी को यह वादा करके इस तरह का स्वीकारोक्ति देने के लिए मजबूर किया जा सकता है कि उसे भी बचाया जाएगा, एक संभावित दृष्टिकोण है। इसलिए, वह प्रस्तुत करता है कि उस संबंध में विद्वान ए. एफ. टी. के निष्कर्षों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।

23. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि पी. डब्ल्यू. 1-कर्नल का साक्ष्य भी। अनिल सिंह राठौर, निदेशक, सेना भर्ती केंद्र, झुंझुनू; पी. डब्ल्यू. 2-ब्रिगेडियर अरुण कुमार तुली, डिप्टी कमिश्नर। महानिदेशक, जयपुर में भर्ती क्षेत्र राजस्थान; और पी. डब्ल्यू. 4-कर्नल। बलराज सिंह सोही, निदेशक भर्ती कार्यालय, जयपुर ने खुलासा किया कि एक भी व्यक्ति नहीं मिला, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि उसे चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ घोषित किया गया था।

2 (1962) 3 एससीआर 10 3 3 (2012) 6 एस. सी. सी. 369 भारत और भारत का संघ।

25. जहां तक पी. डब्ल्यू. 8-मेजर बी. एस. आर. के. प्रसाद से कथित तौर पर प्राप्त हुई <आई. डी. 1,000/- की राशि का संबंध है, श्री अग्रवाल पी. डब्ल्यू. 8-मेजर बी. एस. आर. के. प्रसाद ने प्रत्यर्थी-अधिकारी के ससुर से <आई. डी. 1,000/- का ऋण लिया था, क्योंकि वह जमीन का एक भूखंड खरीदना चाहते थे। वह प्रस्तुत करता है कि राशि

Rs.65,000/- के ससुर के खाते में जमा किया गया

प्रत्यर्थी-अधिकारी उक्त ऋण के पुनर्भुगतान के लिए था। वह प्रस्तुत करता है कि उक्त तथ्य पी. डब्ल्यू. 8 मेजर बी. एस. आर. के. प्रसाद के साक्ष्य से स्पष्ट होगा।

26. पक्षों के लिए विद्वान वकील की सहायता से, हम

अभिलेख पर सामग्री की जांच की है। जहाँ तक ए. एफ. टी. अधिनियम की धारा 15 के दायरे के संबंध में पहली प्रस्तुति का संबंध है, ए. एफ. टी. अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (4) का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जो निम्नानुसार हैः

" 15. न्यायालय के खिलाफ अपील के मामलों में अधिकार क्षेत्र, शक्तियाँ और अधिकार-युद्ध। - (1)

(2) .....

(3) .....

(4) न्यायाधिकरण एक अदालत द्वारा दोषसिद्धि के खिलाफ अपील की अनुमति देगा-जहाँ

(अ)

अदालत का निष्कर्ष-युद्ध कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है

किसी भी कारण से; या

(ख)

निष्कर्ष में कानून के प्रश्न पर गलत निर्णय शामिल है; या

मुकदमे के दौरान एक भौतिक अनियमितता थी

((ग)

जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होती है, लेकिन,

किसी अन्य मामले में, अपील को खारिज कर सकता है जहां न्यायाधिकरण

यह मानता है कि न्याय की कोई विफलता होने की संभावना नहीं है या

वास्तव में अपीलार्थी के लिए परिणाम हैः

बशर्ते कि न्यायाधिकरण द्वारा अपील को खारिज करने वाला कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा आदेश लिखित रूप में कारणों को दर्ज करने के बाद नहीं किया जाता है।

यह पता लगाना जब इसमें कानून के प्रश्न पर गलत निर्णय शामिल हो। इसके खंड (सी) के तहत, विद्वान ए. एफ. टी. को कोर्ट-मार्शल द्वारा दोषसिद्धि के खिलाफ अपील की अनुमति देने में उचित माना जाएगा जब मुकदमे के दौरान कोई भौतिक अनियमितता थी जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई थी। 28. जहाँ तक श्री विक्रमजीत बनर्जी द्वारा रखी गई निर्भरता का संबंध है, संदीप कुमार के मामले में इस अदालत के फैसले पर ए. एस. जी. और

अन्य (ऊपर) का संबंध है, उक्त मामले में इस न्यायालय ने स्वयं कहा है

इस प्रकारः

" 46. अधिनियम की धारा 15 न्यायाधिकरण को व्यापक शक्ति प्रदान करती है ताकि

जहाँ कोर्ट मार्शल का निष्कर्ष किसी भी कारण से कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है, वहाँ कोर्ट मार्शल द्वारा दोषसिद्धि के खिलाफ अपील की अनुमति देने के लिए; निष्कर्ष में कानून के प्रश्न पर गलत निर्णय शामिल है या मुकदमे के दौरान कोई भौतिक अनियमितता थी जिसके परिणामस्वरूप न्याय का गर्भपात हुआ। भले ही न्यायाधिकरण की शक्ति व्यापक है, लेकिन कोर्ट मार्शल द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने के लिए साक्ष्य की सराहना पर यह केवल एक अलग राय नहीं है। हस्तक्षेप का पहला आधार यह है कि क्या कोर्ट मार्शल का निष्कर्ष "कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है"। इसलिए इस तरह की शक्ति का प्रयोग करने के लिए कोर्ट मार्शल द्वारा कानून की त्रुटि होनी चाहिए।

जो भारत संघ और ओ. आर. एस. के विरुद्ध हस्तक्षेप करने के लिए न्यायाधिकरण को अधिकारिता प्रदान करेगा।

वी. प्रमुख आर. मेट्री नं. 08585 एन [बी. आर. जी. ए. वी. ए. आई., जे.]

कोर्ट मार्शल द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि। दूसरा आधार "कानून के सवाल पर गलत आवेदन" है। हालाँकि, वर्तमान मामले में न्यायाधिकरण ने सेना के आदेश को गलत तरीके से पढ़कर कोर्ट मार्शल के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने में गंभीर त्रुटि की है। न्यायाधिकरण द्वारा इंगित कोई भौतिक अनियमितता नहीं है

जहाँ तक अनियमितता का उल्लेख किया गया है, उसके संबंध में है

कोई कारण; या कि निष्कर्ष में कानून के प्रश्न पर गलत निर्णय शामिल है या मुकदमे के दौरान कोई भौतिक अनियमितता थी जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई। लेकिन ऐसी व्यापक शक्तियां न्यायाधिकरण को केवल निष्कर्षों को उलटने का अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती हैं। क्योंकि यह पाता है कि अलग दृष्टिकोण संभव है।

यह निष्कर्ष निकालना कि न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष सेना के आदेश को गलत तरीके से पढ़ने पर था। जिस वाक्य को सेवा में दबाया जाता है, उसे उन निष्कर्षों के संदर्भ में पढ़ना होगा। हम भारत संघ की ओर से इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि विद्वान ए. एफ. टी. साक्ष्य की पुनः सराहना करने का हकदार नहीं है। साक्ष्य के इस तरह के पुनर्मूल्यांकन की अनुमति यह पता लगाने के लिए है कि क्या कोर्ट मार्शल का कोई निष्कर्ष किसी भी कारण से कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। 30. यह विवाद में नहीं है कि जी. सी. एम. ने मूल रूप से प्रतिवादी-अधिकारी द्वारा दिए गए इकबालिया बयान पर अपनी सजा सुनाई है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस संबंध में द स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम काठी कालू ओघड़ और अन्य (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की ग्यारह न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भरोसा रखा गया है। उक्त मामले में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना प्रासंगिक होगाः

" (1) एक अभियुक्त व्यक्ति के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि उसे केवल इसलिए अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर किया गया था क्योंकि उसने पुलिस हिरासत में रहते हुए एक बयान दिया था। दूसरे शब्दों में, उस समय पुलिस हिरासत में होने का मात्र तथ्य जब प्रश्नगत बयान दिया गया था, अपने आप में, कानून के प्रस्ताव के रूप में, इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा कि अभियुक्त

बयान देने के लिए मजबूर किया गया था, हालांकि यह तथ्य, किसी विशेष मामले में साक्ष्य में प्रकट की गई अन्य परिस्थितियों के संयोजन में, एक जांच में एक प्रासंगिक विचार होगा कि क्या आरोपी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था या नहीं। विवादित बयान "।

31. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस न्यायालय ने उपरोक्त मामले में ही यह निर्णय दिया है कि क्या किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था

बयान या नहीं, प्रत्येक मामले में तथ्य का प्रश्न है जिसे न्यायालय द्वारा मामले में प्रकट तथ्यों और परिस्थितियों को तौलने पर निर्धारित किया जाता है।

उसके सामने सबूत।

32. वर्तमान मामले में, विद्वान ए. एफ. टी., पी. डब्ल्यू. 1-कर्नल अनिल सिंह राठौर, पी. डब्ल्यू. 3-कर्नल भरत कुमार के साक्ष्य के अवलोकन पर

और पी. डब्ल्यू. 4-कर्नल। बलराज सिंह सोही, इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जो परिस्थितियाँ सामने आई हैं, उनसे यह नहीं कहा जा सकता है कि इकबालिया बयान स्वैच्छिक था।

33. विद्वान ए. एफ. टी. द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को प्रत्यर्थी द्वारा पसंद की गई अपील की अनुमति देते हुए दर्ज किया गया था-अधिकारी

28 अप्रैल, 2013 के जी. सी. एम. के निर्णय और आदेश, जैसा कि जी. ओ. सी. द्वारा 29 दिसंबर, 2013 के आदेश द्वारा पुष्टि की गई है, जिसमें उसे दोषी ठहराया गया है।

दोषमुक्त। यदि विद्वान ए. एफ. टी. द्वारा लिया गया दृष्टिकोण प्रशंसनीय पाया जाता है, तो इस न्यायालय के लिए इसमें हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं होगी। केवल इसलिए कि यह न्यायालय दूसरे दृष्टिकोण को अधिक संभावित/प्रशंसनीय पाता है। समान रूप से, जब तक विद्वान ए. एफ. टी. का निष्कर्ष विकृत या असंभव नहीं पाया जाता है, तब तक हस्तक्षेप उचित नहीं होगा।

भारत और ओआरएस का संघ। वी. प्रमुख आर. मेट्री नं. 08585 एन [बी. आर. जी. ए. वी. ए. आई., जे.]

34. पी. डब्ल्यू. 1-कर्नल के साक्ष्य के अवलोकन से। अनिल सिंह राठौर, यह पता चलता है कि उन्होंने खुद कहा है कि उनके रूप में तैनात होने के बाद

निदेशक, सेना भर्ती कार्यालय, झुंझुनू, राजस्थान को मई, 2008 में भर्ती के लिए अनुग्रह की मांग करने वाले अनधिकृत तत्वों से विभिन्न कॉल प्राप्त हुए थे। उन्होंने उन्हें नौकरी छोड़ने के लिए कहा था। हालाँकि, इसके बावजूद, उक्त कॉल करने वालों ने मदद मांगने के लिए कॉल करने की आवृत्ति बढ़ा दी और धमकी देने वाली भाषा का उपयोग करना भी शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सेना भर्ती कार्यालय के सभी निदेशकों के साथ विस्तार से चर्चा की गई।

क्षेत्र के अंतर्गत। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में उन्होंने अतिरिक्त महानिदेशक भर्ती, एकीकृत मुख्यालय को सूचित किया था

रक्षा मंत्रालय (सेना) ने कहा कि हालांकि भर्ती प्रणाली स्वतंत्र और निष्पक्ष थी, फिर भी भर्ती किए गए लगभग 90 प्रतिशत व्यक्ति दलालों को अलग-अलग राशि का भुगतान करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मई, 2009 के महीने में, जब जोधपुर में भर्ती रैली आयोजित की गई थी, तो प्रतिवादी-अधिकारी को उक्त भर्ती रैली के लिए चिकित्सा दल के सदस्य के रूप में विस्तृत किया गया था। जब भर्ती रैली की प्रक्रिया चल रही थी, तो उन्हें प्रतिवादी-अधिकारी का फोन आया जिसमें उन्हें सूचित किया गया कि प्रतिवादी-अधिकारी को अवांछनीय तत्वों के कॉल आए थे जो प्रतिवादी-अधिकारी से मदद मांग रहे थे। पी. डब्ल्यू. 1-कर्नल। अनिल सिंह राठौर ने आगे कहा है कि उन्होंने प्रतिवादी-अधिकारी से कहा कि किसी पर कोई एहसान न करें और

35. पी. डब्ल्यू. 1-कर्नल। अनिल सिंह राठौर ने अपने साक्ष्य में आगे कहा कि एक और भर्ती रैली जून 2009 में गंगानगर में आयोजित की गई थी। जहाँ वे मेजबान सेना भर्ती कार्यालय थे। उन्होंने दक्षिण पश्चिमी कमान खुफिया इकाई के टुकड़ी कमांडर के साथ बैठक की, जिन्होंने उन्हें क्षेत्र में दलालों की गतिविधियों के बारे में कुछ जानकारी प्रदान की। उन्होंने अपने साक्ष्य में कहा है कि प्रतिवादी-अधिकारी पर आयोजित भर्ती रैली में चिकित्सा दल के सदस्यों में से एक था

गंगानगर। 36. पी. डब्ल्यू. 1-कर्नल की प्रतिपरीक्षा के निम्नलिखित भाग को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा। अनिल सिंह राठौरः

" जहाँ तक मुझे याद है, पहली बार जब आरोपी ने मुझे अवांछनीय तत्वों के कॉल आने के बारे में बताया था, वह दिसंबर, 2008 के महीने में था जब मैं छुट्टी से वापस आया था। इसके बाद, उन्होंने मुझे जोधपुर भर्ती रैली से इसके बारे में सूचित किया। आगे गंगानगर में, मैंने आरोपी सहित चिकित्सा अधिकारियों को इस तरह के कॉल [2022] 9 एस. सी. आर. होने के बारे में चर्चा करते सुना।

नाश्ते के समय भोजन की मेज पर उनके द्वारा प्राप्त किया गया। अंत में वही जानकारी अभियुक्त द्वारा क्रमशः 14 और 15 जुलाई 2009 को दिए गए अपने मौखिक और लिखित इकबालिया बयान में दी गई।

37. पी. डब्ल्यू. 1-कर्नल। अनिल सिंह राठौर ने अपने साक्ष्य में आगे कहा है कि उन्होंने प्रतिवादी-अधिकारी के साथ, जो उनमें से एक थे

चिकित्सा अधिकारी के रूप में दल 'बी' के सदस्य 11 जुलाई, 2009 को आयोजित होने वाली भर्ती रैली के लिए 9 जुलाई, 2009 को अजमेर गए थे। वह 13 जुलाई, 2009 को समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली खबर के बारे में बताते हैं कि पुलिस दलालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उनका कहना है कि प्रतिवादी अधिकारी 14 जुलाई, 2009 को उनके पास आया था और दलालों के साथ भर्ती रैकेट में अपनी संलिप्तता स्वीकार करना चाहता था। वे वहाँ गए। पास के मंदिर में उन्होंने लगभग दो घंटे तक अपनी भागीदारी के बारे में बताया। उन्होंने प्रत्यर्थी-अधिकारी से कहा कि उन्होंने जो कुछ भी सुनाया है, उसके बारे में सब कुछ लिखित रूप में दें। उन्होंने आगे कहा है कि

15 जुलाई, 2009 में प्रत्यर्थी-अधिकारी उनके पास आए और पी. डब्ल्यू. 3-कर्नल की उपस्थिति में एक लिखित बयान सौंपा। भरत कुमार और पी. डब्ल्यू. 4-कर्नल। बलराज सिंह सोही।

38. पी. डब्ल्यू. 1-कर्नल। अनिल सिंह राठौर ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि वह और अन्य भर्ती अधिकारी बातचीत कर रहे थे

भर्ती रैली के स्थल पर मीडिया के साथ। उन्होंने आगे स्वीकार किया है कि 13 जुलाई, 2009 को बातचीत के दौरान, कई मीडियाकर्मी स्टेडियम में पहुंचे थे, जहाँ भर्ती रैली आयोजित की जा रही थी। हालाँकि उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि 13 जुलाई, 2009 को समाचार पत्र में प्रकाशित जानकारी का विवरण उनके द्वारा दिया गया था, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जाता है कि उन्होंने 13 जुलाई, 2009 को पुलिस के साथ बातचीत की थी।

39. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि जब प्रतिवादी-अधिकारी कथित रूप से

14 जुलाई, 2009 को मौखिक स्वीकारोक्ति दी और 15 जुलाई, 2009 को एक लिखित बयान दिया, भर्ती रैकेट के संबंध में खबर सभी को पहले से ही पता थी। 40. पी. डब्ल्यू. 3-कर्नल। भरत कुमार, जो संबंधित समय में सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक थे, ने अपनी परीक्षा में कहा है -

प्रमुख ने कहा कि 11 मई, 2009 और 21 मई, 2009 के बीच आयोजित जोधपुर भर्ती रैली के दौरान, प्रतिवादी-अधिकारी उनके पास आया था, उनकी आँखों में आँसू पूरी तरह से टूट गए थे, और सूचित किया था कि उन्हें प्राप्त हुआ था।

दलालों से धमकी भरे कॉल और एस. एम. एस. संदेश कुछ उम्मीदवारों का पक्ष लेने की मांग करते हैं।

भारत और ओआरएस का संघ। वी. प्रमुख आर. मेट्री नं. 08585 एन [बी. आर. जी. ए. वी. ए. आई, जे.]

41. इस प्रकार यह पी. डब्ल्यू. 1-कर्नल के साक्ष्य से स्पष्ट है। अनिल सिंह राठौर और पी. डब्ल्यू. 3-कर्नल। भरत कुमार ने कहा कि वे दिसंबर 2008 से ही भर्ती घोटाले में दलालों के गिरोह के बारे में जानते थे। यही नहीं, बल्कि पी. डब्ल्यू. 1-कर्नल। अनिल सिंह राठौर ने रिकॉर्ड में कहा है कि भर्ती प्रक्रिया में, भर्ती किए गए 90 प्रतिशत व्यक्ति दलालों को अलग-अलग राशि का भुगतान करते हैं, हालांकि चयन प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष थी। पीडब्लू. 1 कर्नल अनिल सिंह राठौर ने स्वीकार किया है कि प्रतिवादी-अधिकारी ने उन्हें दिसंबर, 2008 में फोन कॉल के बारे में सूचित किया था। जहाँ तक पी. डब्ल्यू. 3-कर्नल का संबंध है। भरत कुमार चिंतित हैं, उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि प्रतिवादी-अधिकारी ने उन्हें मई, 2009 के महीने में फोन कॉल के बारे में सूचित किया था। विद्वान ए. एफ. टी. का यह निष्कर्ष कि परिस्थितियों को देखते हुए, यह अस्वाभाविक प्रतीत होता है कि प्रतिवादी-अधिकारी 14 जुलाई, 2009 को स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति करेगा और 15 जुलाई, 2009 को लिखित बयान देगा और यह कि कई और व्यक्ति भर्ती घोटाले में शामिल हो सकते हैं और एक बलि का बकरा खोजने के लिए, प्रतिवादी-अधिकारी को इस आश्वासन के साथ एक इकबालिया बयान देने के लिए कहा जा सकता है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, एक असंभव दृष्टिकोण नहीं कहा जा सकता है।

42. पी. डब्ल्यू. 2-ब्रिगेडियर अरुण कुमार तुली, प्रासंगिक समय में, जयपुर में भर्ती क्षेत्र राजस्थान के उप महानिदेशक थे।

उन्होंने अपनी परीक्षा में यह भी स्वीकार किया है कि, जब उन्होंने उप महानिदेशक भर्ती क्षेत्र का पद संभाला, तो सबसे पहले

11 मई, 2009 और 18/19 मई, 2009 के बीच जोधपुर में भर्ती रैली आयोजित की गई थी। उन्होंने स्वीकार किया है कि इस भर्ती रैली के दौरान उन्हें शिकायतों की प्राप्ति के बारे में पता चला

प्रत्यर्थी-अधिकारी सहित चिकित्सा अधिकारियों से, कि उन्हें धमकी भरी सामग्री के साथ अवांछित कॉल और एस. एम. एस. संदेश प्राप्त हुए थे। उन्होंने अपने साक्ष्य में यह भी स्वीकार किया है कि 14 जुलाई, 2009 को उन्हें स्थानीय समाचार पत्र मिले, जो भर्ती रैकेट की खबरों से भरे हुए थे। वह.

उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि 14 जुलाई, 2009 को पुलिस अधीक्षक, अजमेर के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी, जिन्होंने उन्हें प्राथमिकी के बारे में सूचित किया था।

प्रत्यर्थी द्वारा दिया गया बयान-अधिकारी स्वैच्छिक प्रतीत नहीं हुआ, इसे विकृत दृष्टिकोण नहीं कहा जा सकता है। यह विशेष रूप से तब होता है जब पी. डब्ल्यू. 1 कर्नल अनिल सिंह राठौर ने स्वीकार किया है कि प्रतिवादी-अधिकारी ने दिसंबर, 2008 में उन्हें इस तरह के कॉल के बारे में सूचित किया, और साथ ही, [2022] 9 एस. सी. आर.

पी. डब्ल्यू. 2-ब्रिगेडियर अरुण कुमार तुली और पी. डब्ल्यू. 3-कर्नल। भरत कुमार ने स्वीकार किया है कि उन्हें इस तरह के कॉल के बारे में 14 जुलाई, 2009 और 15 जुलाई, 2009, यानी मौखिक/लिखित स्वीकारोक्ति की तारीखों से बहुत पहले जानकारी थी।

44. सहदेवन और एक अन्य बनाम राज्य के मामले में यह न्यायालय।

तमिलनाडु 1 ने इस मुद्दे पर विभिन्न निर्णयों का सर्वेक्षण करने के बाद निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए हैं:

" ये सिद्धांत

16. के अप्रचलित निर्णयों के उचित विश्लेषण पर

इस न्यायालय में उन सिद्धांतों को बताना उचित होगा जो एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति को एक अभियुक्त की दोषसिद्धि का आधार बनाने में सक्षम साक्ष्य का एक स्वीकार्य टुकड़ा बना देंगे। ये

से निपटने के दौरान उपदेश न्यायिक दिमाग का मार्गदर्शन करेंगे

ऐसे मामलों की सच्चाई जहां अभियोजन पक्ष बहुत अधिक निर्भर करता है अतिरिक्त-अभियुक्त द्वारा कथित रूप से किया गया न्यायिक स्वीकारोक्तिः

((i) अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति अपने आप में एक कमजोर साक्ष्य है। अदालत द्वारा इसकी अधिक सावधानी और सावधानी के साथ जांच की जानी चाहिए।

((ii) यह स्वेच्छा से किया जाना चाहिए और सच्चा होना चाहिए।

((iii) इससे आत्मविश्वास पैदा होना चाहिए। ((iv) अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति अधिक विश्वसनीयता प्राप्त करती है।

और साक्ष्य मूल्य यदि यह ठोस की एक श्रृंखला द्वारा समर्थित है परिस्थितियाँ और आगे अन्य अभियोजन द्वारा पुष्टि की जाती है

सबूत।

(v) एक अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति का आधार होना

दृढ़ विश्वास, यह किसी भी भौतिक विसंगतियों से पीड़ित नहीं होना चाहिए और अंतर्निहित असंभवताएँ।

(vi) इस तरह के कथन को अनिवार्य रूप से किसी भी कथन की तरह साबित करना होगा।

अन्य तथ्य और कानून के अनुसार।

45. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति सबूत का एक कमजोर टुकड़ा है। जब तक इस तरह के कबूलनामे को स्वैच्छिक, भरोसेमंद और विश्वसनीय नहीं पाया जाता है, तब तक बिना पुष्टि के केवल उसी के आधार पर दोषसिद्धि उचित नहीं होगी। 46. वर्तमान मामले में, कोई पुष्टि नहीं है। इसके विपरीत, पी. डब्ल्यू. 1-कर्नल। अनिल सिंह राठौर ने अपने साक्ष्य में खुद कहा है कि

4 (2012) 6 एस. सी. सी. 403 यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओ. आर. एस. वी. प्रमुख आर. मेट्री नं. 08585 एन [बी. आर. जी. ए. वी. ए. आई., जे.]

यह स्वीकार किया कि प्रतिवादी-अधिकारी टीम 'बी' का हिस्सा था। उसकी जाँच के निम्नलिखित भाग-इन-चीफ का उल्लेख करना प्रासंगिक होगाः

" किसी भी भर्ती रैली में तीन दल होते हैं, मेजबान सेना भर्ती कार्यालय, दल 'ए' और 'बी'। मेजबान सेना भर्ती कार्यालय प्रलेखन और प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। टीम 'ए' शारीरिक परीक्षण और दौड़ के लिए जिम्मेदार है जबकि टीम 'बी' उम्मीदवार के माप और उनकी चिकित्सा परीक्षा के लिए जिम्मेदार है। वास्तविक परीक्षण स्वतंत्र सदस्यों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। ये दल केवल स्वतंत्र सदस्यों को परीक्षण के संचालन में सहायता करते हैं।

माप और चिकित्सा परीक्षा।

47. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि प्रतिवादी अधिकारी जैसा एकल अधिकारी किसी उम्मीदवार को चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ घोषित नहीं कर सकता है, यदि वह अन्यथा नहीं है।

ससुरालीस एक राशि थी जो अवैध संतुष्टि के रूप में प्राप्त की जाती थी। 49. इसलिए, हमारा विचार है कि विद्वान ए. एफ. टी. के निष्कर्षों में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती है कि प्रतिवादी-अधिकारी पी. सी. अधिनियम की धारा 7 के तहत दंडनीय अपराध से बरी होने का हकदार है।

50. यह हमें प्रतिवादी-अधिकारी की अपीलों के साथ छोड़ देता है।

51. P.W.10-वरलक्ष्मी श्रीनिवास और P.W.12-मेजर डी. श्रीनिवास के साक्ष्य के अवलोकन से पता चलता है कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है

सबूत, कि चूंकि प्रतिवादी-अधिकारी की पत्नी ने 16 फरवरी, 2009 को एक लड़की को जन्म दिया था, इसलिए वह धारवाड़ में अपने पैतृक स्थान पर जाना चाहता था और उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। इस प्रकार, उन्होंने अनुरोध किया था

P.W.12-मेजर डी. श्रीनिवास को Rs.20,000/- का ऋण देना है, जो राशि P.W.10-वरलक्ष्मी श्रीनिवास द्वारा प्रतिवादी-अधिकारी के खाते में उनके पति पी. डब्ल्यू. 12-मेजर डी. श्रीनिवास के निर्देश पर जमा की गई थी। P.W.12-मेजर डी. श्रीनिवास के साक्ष्य से, यह होगा यह बताता है कि अपने पैतृक स्थान से लौटने पर, प्रतिवादी-अधिकारी ने उक्त राशि वापस कर दी थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

52. जहाँ तक <ID1,000/- की राशि का संबंध है, पी. डब्ल्यू. 8 मेजर बी. एस. आर. के. प्रसाद ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उन्होंने एक

53. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि प्रत्यर्थी-अधिकारी ने यह साबित करने के लिए बोझ उठाया था कि Rs.20,000/- की उक्त राशि कैसे थी। उनके खाते में जमा किया गया और कैसे Rs.65,000/- की राशि उनके ससुर के खाते में जमा की गई। इस प्रकार, आदेश का वह हिस्सा, जो प्रत्यर्थी-अधिकारी को सेना अधिनियम की धारा 63 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराता है, हमारे विचार में टिकाऊ नहीं है।

54. परिणाम में, हम निम्नलिखित क्रम पारित करते हैं:

ए. आपराधिक आवेदन संख्या। 2196 2017 का

(i) संघ की ओर से दायर 2017 की आपराधिक अपील संख्या 2196

भारत और अन्य को बर्खास्त कर दिया जाता है।

बी. आपराधिक आवेदन संख्या। 537-538 2018 का

(i) की ओर से दायर 2018 की आपराधिक अपील Nos.537-538

अपीलार्थी-मेजर आर. मेट्री No.08585N की अनुमति है।

((ii) विद्वत ए. एफ. टी. द्वारा 2 मार्च, 2017 को पारित विवादित निर्णय और आदेश, जिसमें अपीलार्थी-मेजर आर. मेट्री को सेना अधिनियम की धारा 63 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और उसे वरिष्ठता और गंभीर फटकार को जब्त करने की सजा सुनाई गई है, को रद्द कर दिया गया है और अलग कर दिया गया है।
(iii) अपीलार्थी-मेजर आर. मेट्री No.08585N सभी मामलों से बरी हो जाता है।

आरोप लगाए गए।

(iv) अपीलार्थी-मेजर आर. मेट्री No.08585N को सेवा की निरंतरता के साथ तुरंत बहाल करने का निर्देश दिया जाता है। हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलकर्ता-मेजर आर. मेट्री No.08585N वेतन के लिए हकदार नहीं होगा।

वह अवधि जिसके दौरान वह नौकरी से बाहर थे।

55. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

अपील की

आंशिक रूप से अनुमति है।

देविका गुजराल (सहायकः नेहा शर्मा, एलसीआरए)